न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण स0 – 96/2022

अनवान : –

1. मुन्शीराम पुत्र हजारी जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 97/95 की कुल 11.3850है0 भूमि में से 19871/75900 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम मुन्शी पुत्र हजारी है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मुन्शीराम पुत्री हजारी है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों सरपंच ग्राम पंचायत उज्जलवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम मुन्शी की जगह मुन्शीराम तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर के पत्रांक 1575 दिनांक 09.02.23 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि मुन्शीराम पुत्र हजारी व मुन्शी पुत्र हजारी एक ही व्यक्ति के नाम है प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम मुन्शीराम पुत्र हजारी है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मुन्शी पुत्र हजारी दर्ज है जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 97/95 की कुल 11.3850है0 भूमि से 19871/75900 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम मुन्शी पुत्र हजारी के स्थान पर मुन्शीराम पुत्र हजारी दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा सरंपच ग्राम पंचायत उज्जलवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में सही नाम मुन्शीराम पुत्र हजारी अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 97/95 की कुल 11.3850है0 भूमि से 19871/75900 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी मुन्शी पुत्र हजारी के स्थान पर सही नाम मुन्शीराम पुत्र हजारी किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच मुन्शी पुत्र हजारी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का मुन्शी पुत्र हजारी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम मुन्शी पुत्र हजारी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 6/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:59:00 IST
Reason: SelfAttested